रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102021-230847
CG-DL-E-30102021-230847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4167] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 2021/कार्तिक 8, 1943
No. 4167] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 2021/KARTIKA 8, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4528(अ).— संयुक्त राष्ट्र समिति सुरक्षा परिषद् ने आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और सहयुक्त व्यष्टियों, समूहों, उपक्रमों और ईकाइयों से संबंधित संकल्प 1267 (1999), संकल्प 1989(2011) और संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद् संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में उपवर्णित आस्तियों की जब्ती, यात्रा-रोक और शस्त्र-प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, व्यष्टियों और अस्तित्वों की उसकी आईएसआईएल (दाएश), और अल-कायदा प्रतिबंधों की सूची के संबंध में संशोधन अधिनियमित किए हैं, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय-7 के अधीन अंगीकृत किए हैं।

और, केंद्रीय सरकार, उक्त संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन जारी किए गए आदेश की अनुसूची को पुनरीक्षिति करना आवश्यक और समीचीन समझती है।

अत: अब,केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) तीसरा संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) (संशोधन) आदेश, 2007 की अनुसूची के उपाबंध 1 में "क. व्यष्टि" शीर्ष के अधीन पैरा क्यूडीआई 253 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा अर्थात् :-

[फा. सं.यू. II/152/31/2021]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में का.आ. संख्याक 460 (अ) तारीख 28 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 2958 (अ) तारीख 27 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4528(E).—Whereas the Security Council of the United Nations Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted amendments on its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to revise the Schedule to the Order issued under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to give effect to the said amendments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions), Order 2007, namely:—

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions), Third Amendment, Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, in the schedule, in Annexure 1, under the heading "A. Individuals", the paragraph QDi.253 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. U. II/152/31/2021]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy. (United Nations Political Division)

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 460(E), dated the 28th March 2007 and last amended *vide* S.O. 2958 (E), dated the 27th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.30 16:32:23 +05'30'